

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 345/2021

अनवान : –

1. शान्ति पत्नी भगवान पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी जबरासर तह. नोहर
2. बेगराज पुत्र लाधुराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी जबरासर तह. नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. आदराम पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर
1/1 प्रताप 1/2 रामेश्वर 1/3 देवीलाल पुत्रगण स्व. आदराम जाति जाट साकिन
जबरासर तह. नोहर
1/4 विमला पत्नी स्व. जगदीश पुत्र आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
2. जसवन्त सिंह पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
3. दारा सिंह पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
4. धनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
5. हिलाद पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
6. बनवारी पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
7. महेन्द्र सिंह पुत्र निहालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
8. राजकुमार पुत्र निहालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र निहालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
10. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
11. राजस्थान स्टेट जरिये उपतहसीलदार (राजस्व), नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 17/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 226/216 की कुल 39.0400 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता सं. 226/216 के ख.न. 381 की 10. 2440 हैक्टर ख.न. 393 की 6.3860 हैक्टर, ख.न. 747 की 11.3820 हैक्टर, ख.न. 784 की 11. 0280 हैक्टर कुल तादादी 39.0400 हैक्टर भूमि वादिया सं. 1 अकेली 25609 / 195200 हिस्सा, वादी सं. 2 अकेला 25609/195200 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 अकेला 55141/195200 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 अकेला 5183/78080 हिस्सा, प्रतिवादी सं. -3 अकेला 5183/78080 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 15971/390400 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 3873/48800 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 3873/48800 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 अकेला 1331/48800 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेला 10647/390400 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 अकेला 10647/390400 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अकेला 15971/390400 हिस्सा के खातेदार कास्तकार के द्वारा उपरोक्त अनुसार हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है।



Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 226/216 की कुल 39.0400 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते हैं वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 226/216 की कुल 39.0400 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 शान्ति पत्नी भगवानपुरी सम्पूर्ण हिस्सा जाति गोंसाई (गुंसाई) सा0 देह खातेदार – ख0न0 381 में से 5.1218 हैक्ट, ख0न0 381/1 रकबा 5.1218 हैक्ट
- 2 बेगराज पुत्र लादुराम सम्पूर्ण हिस्सा जाति गोंसाई (गुंसाई) सा0 देह खातेदार – ख0न0 381 में से 5.1218 हैक्ट, ख0न0 381/2 रकबा 5.1218
- 3 इन्द्रा पत्नी धनाराम हि0 10647/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई रामगढ़ उज्जलवास, इन्द्राज पत्नी धनाराम हि0 15971/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई रामगढ़ उज्जलवास, जसवन्तसिंह पुत्र सन्तलाल हि0 25915/287960 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा चकसरदारपुरा, देवीलाल पुत्र आदराम हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार, दारासिंह पुत्र सन्तलाल हि0 25915/287960 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा चकसरदारपुरा, प्रताप पुत्र आदराम हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया, प्रहलाद पुत्र जयलाल हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन

आरएमजीबी नोहर, बनवारी पुत्र जयलाल हि0 30984/287960 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी नोहर, बिमला पत्नी जगदीश हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार, मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार हि0 5323/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार, महेन्द्र सिंह पुत्र निहालसिंह हि0 10647/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार, राजकुमार पुत्र निहालसिंह हि0 10646/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र निहालसिंह हि0 10646/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार रहन एक्सिस बैंक शाखा दीपलाना, रामेश्वर पुत्र आदराम हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार – ख0न0 393 की 6.3860, 747 की 11.3820, 784 की 11.0280 हैक्ट कुल 28.7960 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक13/10/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 345/2021

अनवान : -

1. शान्ति पत्नी भगवान पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी जबरासर तह. नोहर
2. बेगराज पुत्र लाधुराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी जबरासर तह. नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. आदराम पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर
1/1 प्रताप 1/2 रामेश्वर 1/3 देवीलाल पुत्रगण स्व. आदराम जाति जाट साकिन
जबरासर तह. नोहर
1/4 विमला पत्नी स्व. जगदीश पुत्र आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
2. जसवन्त सिंह पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
3. दारा सिंह पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
4. धनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
5. हिलाद पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
6. बनवारी पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन जबरासर तह. नोहर
7. महेन्द्र सिंह पुत्र निहालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
8. राजकुमार पुत्र निहालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र निहालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
10. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन जबरासर तह. नोहर
11. राजस्थान स्टेट जरिये उपतहसीलदार (राजस्व), नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 345 सन 2021 निर्णय दिनांक 17/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 226/216 की कुल 39.0400 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 शान्ति पत्नी भगवानपुरी सम्पूर्ण हिस्सा जाति गोंसाई (गुंसाई) सा0 देह खातेदार - ख0न0 381 में से 5.1218 हैक्ट, ख0न0 381/1 रकबा 5.1218 हैक्ट
- 2 बेगराज पुत्र लादुराम सम्पूर्ण हिस्सा जाति गोंसाई (गुंसाई) सा0 देह खातेदार - ख0न0 381 में से 5.1218 हैक्ट, ख0न0 381/2 रकबा 5.1218
- 3 इन्द्रा पत्नी धनाराम हि0 10647/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ खातेदार रहन एसबीआई रामगढ उज्जलवास, इन्द्राज पत्नी धनाराम हि0 15971/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ खातेदार रहन एसबीआई रामगढ उज्जलवास, जसवन्तसिंह पुत्र सन्तलाल हि0 25915/287960 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा चकसरदारपुरा, देवीलाल पुत्र आदराम हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार, दारासिंह पुत्र सन्तलाल हि0 25915/287960 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा चकसरदारपुरा, प्रताप पुत्र आदराम हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया,

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रहलाद पुत्र जयलाल हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी नोहर, बनवारी पुत्र जयलाल हि0 30984/287960 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी नोहर, बिमला पत्नी जगदीश हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार, मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार हि0 5323/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार, महेन्द्र सिंह पुत्र निहालसिंह हि0 10647/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार, राजकुमार पुत्र निहालसिंह हि0 10646/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र निहालसिंह हि0 10646/287960 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 रामगढ़ खातेदार रहन एक्सिस बैंक शाखा दीपलाना, रामेश्वर पुत्र आदराम हि0 275705/2879600 जाति जाट सा0 देह खातेदार – ख0न0 393 की 6.3860, 747 की 11.3820, 784 की 11.0280 हैक्ट कुल 28.7960 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक17/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर